सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 421 राँची, मंगलवार 26 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

16 जून, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

10 जून, 2015

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-199/म0को0, दिनांक 21 फरवरी, 2012
2. कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं0-9961, दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 एवं पत्रांक-1100, दिनांक 10 फरवरी, 2015
3. श्री अशोक कुमार सिन्हा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-372, दिनांक 10 जुलाई, 2014

संख्या-5/आरोप-1-28/2014 का०5205 -- श्री अनिल कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-608/03, गृह जिला- नालन्दा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-199/म0को0, दिनांक 21 फरवरी, 2012 द्वारा आरोप प्रपत्र- 'क' उपलब्ध कराया गया है। इनके विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. (क) ग्राम पंचायत बंधुआ, जुन्गूर, जान्हो, पल्हैया एवं डोंकी में प्रति 125 एकड़ कुल 500 एकड़ में वृक्षारोपण मार्गदर्शिका में निहित प्रावधाननुसार कराना था, जिसके विरूद्ध बंधुआ-4, जुंगूर-6 एवं जान्हो-5.75 एकड़ में वृक्षारोपण कार्य कराना गया है।

(ख) योजना स्थल पर सूचनापट्ट नहीं लगाया गया है तथा प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण के बाद 3 वर्ष तक रख-रखाव सुनिश्चित नहीं कर कार्यान्वयन कराने में कोताही लापरवाही बरती गयी है।

2. योजना से संबंधित मस्टर रोल, अभिश्रव, मापी पुस्त का संधारण संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं रहना, कार्यों के प्रति कोताही, लापरवाही, उदासीनता को दर्शाता है।

3. जान्हो पंचायत का परहिया टोला (योजना संख्या- 26/2007-08) में दिनांक 17 जुलाई, 2007 को 4,00,000/- (चार लाख) रूपये, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को 6,00,000/- (छः लाख) रूपये, दिनांक 06.08.2007 को 8,00,000/- (आठ लाख) रूपये एवं दिनांक 20 अगस्त, 2007 को 5,00,000/- (पाँच लाख) रूपये एवं दिनांक 06 सितम्बर, 2007 को 10,00,000/- (दस लाख) रूपये एवं बंधुआ ग्राम में (योजना संख्या- 27/07-08) दिनांक 20 सितम्बर, 2007 को 7,00,000/- (सात लाख) रूपये, दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 को 7,00,000/- (सात लाख) रूपये बिना पूर्व अग्रिम के समायोजन के बारम्बार अग्रिम देकर सरकारी राशि के दुरूपयोग/ अनियमितता का आरोप बनता है।

4. तत्कालीन उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-2254, दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 द्वारा मनरेगा अन्तर्गत जेट्रोफा पौधारोपण के संबंध में 8 बिन्दुओं पर कार्यान्वयन के निदेश का अनुपालन करने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-98, दिनांक 18 जनवरी, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में योजनावार प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। इसी प्रकार तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-346, दिनांक 07 मार्च, 2008, उक्त पत्रांक-2254, दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 एवं पत्रांक-98, दिनांक 18 जनवरी, 2008 द्वारा दिये गये पत्र का प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण स्मार पत्र दिया गया परन्तु प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार कार्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा आदेशों की अनदेखी करने एवं अनुशासनहीनता का आरोप बनाता है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0-9961, दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री सिन्हा के पत्रांक-372, दिनांक 10 जुलाई, 2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, प्रपत्र- 'क' में अंकित आरोप संख्या-1 एवं 3 को प्रमाणित पाया गया है, जिसके लिए श्री कुमार के विरूद्ध निन्दन एवं तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। विभागीय पत्रांक-1100, दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री कुमार के पत्र, दिनांक 20 फरवरी, 2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री कुमार ने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में ऐसा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है, जिसपर पूर्व में विचार नहीं किया गया हो। अतः श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर को अस्वीकृत करते हुए असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49(1) एवं (2) के तहत् निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किया जाता है:-

(क) निन्दन,

(ख) तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 421—50 ।